Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

शबनम आदि बनाम फरीदखां आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा.....199/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.05.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री लालचन्द जाट द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही गारबदेसर के खसरा नम्बर 99,976,970 तादादी 29.02 हैक्टेयर, मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 604 तादादी 5.82हैक्टेयर, मौजा रोही गारबदेसर के खसरा नम्बर 180 तादादी 10.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 तादादी 4.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 तादादी 18.53 हैक्टेयर तथा मौजा रोही जसवन्तसर के खसरा नम्बर 198 तादादी 4.80 हैक्टेयर में आगामी तारीख पेश तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.07.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11.07.22	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अनुपस्थित। अन्य कार्यों में व्यस्तता आयन्दा पत्रावली दिनांक 08.08.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
08.08.22	पत्रावली पेश हुई। आवाजे लगवाई गई। बार-बार आवाजे लगवाने जाने के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं जिससे यह प्रतीत होता है की प्रार्थीगण की प्रार्थना-पत्र में रुचि नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी स्टेज पर अदम [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] में शामिल होकर दाखिल [illegible] दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

उपखण्ड अधिकारी (मुहर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Ku Verma

Date: 2022.10.07 18:08:59 IST

Reason: SelfAttested